[2018] 14 एस. सी. आर. 466

/

जी. ई. टी. ए और ओ. आर. एस.

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. (2018 की आपराधिक अपील संख्या 1544)

/

3 दिसंबर, 2018

[अभय मनोहर सप्रे और इंदु मल्होत्रा**,** जे**.** जे**.]**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:s.482-कार्यवाही को रद्द करना-एस के अंतर्गत दायर शिकायत। 498 भारतीय दंड संहिता सी.-एस. के अंतर्गत दायर कार्यवाही को रद्द करने के लिए आवेदन। 482 उच्च न्यायालय द्वारा खारिज-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया:उच्च न्यायालय ने तथ्यात्मक विवाद की सराहना करने के लिए मामले के नंगे तथ्यों का उल्लेख नहीं किया, जैसे कि, अपीलार्थियों के खिलाफ दायर शिकायत/प्राथमिकी की प्रकृति क्या थी, जिन आरोपों पर यह दायर किया गया था, वे अपराध जिनके अंतर्गत अपीलार्थी अभियोजन की मांग की गई थी, जिन्होंने शिकायत/प्राथमिकी/कार्यवाही दायर की थी, चाहे वह संज्ञेय अपराध से संबंधित हो या नहीं, जिन आधारों पर शिकायत/प्राथमिकी/कार्यवाही को चुनौती दी गई थी, एस के अंतर्गत ऐसे आधार क्यों नहीं बनाए गए थे।482 संहिता आदि-उच्च न्यायालय को पहले तथ्यात्मक मैट्रिक्स को समझने की दृष्टि से मामले के संक्षिप्त तथ्यों को निर्धारित करना चाहिए था और फिर निष्कर्षों को दर्ज करने के लिए कार्यवाही को दी गई चुनौती की जांच करनी चाहिए थी कि किस आधार और तर्क पर, ये सिद्धांत मामले के तथ्यों पर लागू होते हैं ताकि या तो इसमें किसी भी हस्तक्षेप का आह्वान किया जा सके या नहीं-मामला नए सिरे से विचार के लिए उच्च न्यायालय को प्रेषित किया गया-दंड संहिता, 1860 -s.498A।

/

/

/

अपील की अनुमति देते हुए और मामले को उच्च न्यायालय में भेजते हुए**,** न्यायालय ने

/

अभिनिर्धारित किया**:**आक्षेपित आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि एकल न्यायाधीश ने संहिता की धारा **482** के अंतर्गत दायर मामलों में हस्तक्षेप के मुद्दे पर उच्च न्यायालय की

शक्तियों से संबंधित कई फैसलों में केवल इस न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि के सिद्धांत का हवाला दिया है**,** लेकिन तथ्यात्मक विवाद की सराहना करने के लिए मामले के तथ्यों का बहुत कम विस्तार से उल्लेख करने में भी विफल रहे हैं।न्यायाधीश को पहले तथ्यात्मक मैट्रिक्स को समझने की दृष्टि से मामले के संक्षिप्त तथ्यों को निर्धारित करना चाहिए था और फिर इस न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि के सिद्धांतों के आलोक में कार्यवाही को दी गई चुनौती की जांच करनी चाहिए थी ताकि वह सक्षम हो सके

/

/

466 ए.

467

जी. ई. टी. ए. और ओ. आर. एस. बनाम.उत्तर प्रदेश राज्य और एएनआर।

निष्कर्षों को दर्ज करें कि किस आधार और तर्क के आधार पर**,** ये सिद्धांत मामले के तथ्यों पर लागू होते हैं ताकि या तो इसमें किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता हो या नहीं।वास्तव में**,** निष्कर्ष के समर्थन में क्रम में यह सबसे कम आवश्यक है।यह उच्च न्यायालय को अपने उचित परिप्रेक्ष्य में तथ्यों की सराहना करने में सक्षम बनाता है और इस प्रश्न की जांच करने में भी सक्षम बनाता है कि क्या दिया गया तर्क तथ्यात्मक और कानूनी रूप से पोषणीय है।यह कवायद उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करते समय नहीं की गई थी।**[**पैरा **8,11-13] [468-C-D, F-H; 469-A-B]**

/

आपराधिक अपीलीय आधिकारिता :2018 की आपराधिक अपील संख्या 1544।

/

2018 की धारा 482 सं. 29904 के अधीन आवेदन में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के दिनांकित निर्णय और आदेशों से।प्रदीप कुमार यादव, गौरव जैन, सुश्री शीनू चौहान, विजय कुमार शर्मा, संजीव मल्होत्रा, अधिवक्ता।अपीलार्थियों के लिए।

/

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अभय मनोहर सप्रे**,** जे।

1. अनुमति दी गई।

2. यह अपील 2018 की दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे इसके बाद "संहिता" के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 482 के अंतर्गत दायर एक आवेदन में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय और आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया था।

/

3. इस अपील में शामिल संक्षिप्त विवाद की सराहना करने के लिए कुछ तथ्यों का उल्लेख करने की आवश्यकता है।

/

4. आक्षेपित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने संहिता की धारा 482 के अंतर्गत दायर अपीलकर्ताओं की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें चुनौती भारतीय दंड संहिता, 1860 (इसके बाद "आई. पी. सी". के रूप में संदर्भित) पुलिस स्टेशन धनुआरा, जिला के अंतर्गत शिकायत मामला संख्या 18.06.2018 में दिनांकित आदेश के साथ-साथ पूरी कार्यवाही को रद्द करने की थी।अमरोहा, जे. पी. नगर द्वितीय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग) न्यायिक मजिस्ट्रेट, अमरोहा, जे. पी. नगर की न्यायालय में लंबित है।

/

/

/

5. इस अपील में विचार के लिए जो छोटा प्रश्न उठता है, वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय संहिता की धारा 482 के अंतर्गत दायर अपीलार्थियों के आवेदन को खारिज करने में उचित था।

6. अपीलार्थियों के विद्वान वकील श्री प्रदीप कुमार यादव को सुना।उत्तरदाताओं की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

/

7. अपीलार्थियों के विद्वान वकील को सुनने के बाद और मामले के रिकॉर्ड के अवलोकन पर, हम आक्षेपित आदेश को दरकिनार करने और अपीलार्थियों के आवेदन पर निर्णय लेने के लिए मामले को उच्च न्यायालय में भेजने के लिए इच्छुक हैं, जिसमें से यह अपील उत्पन्न होती है, दूसरे पक्ष को नोटिस देने के बाद विधि के अनुसार गुण-दोष के आधार पर।

/

8. आक्षेपित आदेश के अवलोकन पर, हम पाते हैं कि एकल न्यायाधीश ने पैरा 2 से समापन पैरा तक संहिता की धारा 482 के अंतर्गत दायर मामलों में हस्तक्षेप के मुद्दे पर उच्च न्यायालय की शक्तियों से संबंधित कई फैसलों में केवल इस न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि के सिद्धांत का हवाला दिया है, लेकिन तथ्यात्मक विवाद की सराहना करने के लिए मामले के तथ्यों का बहुत कम विस्तार से उल्लेख करने में भी विफल रहा है।

/

9. दूसरे शब्दों में, एकल न्यायाधीश ने तथ्यात्मक विवाद की सराहना करने के लिए मामले के नंगे तथ्यों का उल्लेख नहीं किया है, जैसे कि, अपीलकर्ताओं के खिलाफ दायर शिकायत/प्राथमिकी की प्रकृति क्या है, जिन आरोपों पर यह दायर किया गया है, वे अपराध जिनके अंतर्गत अपीलकर्ता अभियोजन की मांग की गई है, जिन्होंने शिकायत/प्राथमिकी/कार्यवाही दायर की है, चाहे वह संज्ञेय अपराध से संबंधित हो या नहीं, जिन आधारों पर शिकायत/प्राथमिकी/कार्यवाही को चुनौती दी गई है, संहिता की धारा 482 के अंतर्गत ऐसे आधार क्यों नहीं बनाए गए हैं आदि।

/

10. इसलिए, हम इस न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में निर्धारित कानूनी सिद्धांतों को पढ़ने के अलावा मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स को जानने से बहुत कम वंचित हैं।

/

11. हमारे विचार में, विद्वान न्यायाधीश को पहले तथ्यात्मक मैट्रिक्स को समझने की दृष्टि से मामले के संक्षिप्त तथ्यों को निर्धारित करना चाहिए था और फिर इस न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि के सिद्धांतों के आलोक में कार्यवाही को दी गई चुनौती की जांच करनी चाहिए थी ताकि वह निष्कर्ष दर्ज कर सके कि ये सिद्धांत किस आधार और तर्क पर मामले के तथ्यों पर लागू होते हैं ताकि या तो इसमें किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता हो या नहीं।

/

12. वास्तव में, निष्कर्ष के समर्थन में क्रम में यह सबसे कम आवश्यक है।यह उच्च न्यायालय को ए में तथ्यों की सराहना करने में सक्षम बनाता है।

/

469

जी. ई. टी. ए. और ओ. आर. एस. बनाम.उत्तर प्रदेश राज्य और एएनआर। [अभय मनोहर सप्रे, जे।]

इसका उचित परिप्रेक्ष्य और इस प्रश्न की जांच करने में भी सक्षम बनाता है कि क्या दिया गया तर्क तथ्यात्मक और कानूनी रूप से पोषणीय है।

13. हम पाते हैं कि उपरोक्त अभ्यास उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करते समय नहीं किया गया था।

14. इसलिए हम स्वयं को उच्च न्यायालय से सहमत होने में असमर्थ पाते हैं और प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को नोटिस जारी करने के बाद उपरोक्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए विधि के अनुसार गुण-दोष के आधार पर आवेदन पर नए सिरे से निर्णय लेने के अनुरोध के साथ आक्षेपित आदेश को दरकिनार करने और मामले को उच्च न्यायालय (एकल न्यायाधीश) को भेजने के लिए इच्छुक महसूस करते हैं।

/

/

15. ऊपर उल्लिखित हमारे तर्क के आलोक में मामले को रिमांड पर लेने के लिए एक राय बनाने के बाद, हम मामले के गुण-दोष में जाना उचित नहीं मानते हैं।

16. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, अपील सफल होती है और तदनुसार इसकी अनुज्ञात जाती है।आक्षेपित आदेश को अलग रखा जाता है।इस आदेश में हमारी किसी भी टिप्पणी से अप्रभावित गुण-दोष पर निर्णय के लिए मामले को उच्च न्यायालय को भेज दिया गया है।

/

/

मामला उच्च न्यायालय में भेज दिया गया।

/

/

/

/